(KYC दस्तावेजों का) अनुलग्नक-3
सदस्यों, अधिकृत व्यक्तियों तथा ग्राहकों के अधिकार एवं दायित्व
SEBI एवं कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित

1. ग्राहक एक्सचेंजों/ SEBI के नियमों, उप-नियमों और कारोबारी नियमों/विनियमों एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों/नोटिसों में दी गई परिभाषा के अनुसार एक्सचेंजों में/पर सौदा करने के लिए प्रस्तुत की गई उन प्रतिभूतियों/कांट्रैक्ट्स (अनुबंधों)/अन्य विलेखों (इंस्ट्रूमेंट्स) में निवेश/ट्रेड करेगा।

2. सदस्य, अधिकृत व्यक्ति और ग्राहक समय समय पर प्रभावी हो सकने वाले एक्सचेंज द्वारा जारी सभी नियमों, उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों तथा उनके अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों/नोटिसों तथा SEBI के नियमों एवं विनियमों एवं सरकारी प्राधिकारियों की अधिसूचनाओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

3. ग्राहक प्रतिभूतियों में सौदा करने और/या डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स में सौदा करने के लिए सदस्य की क्षमता से स्वयं संतुष्ट होगा और सदस्य के माध्यम से अपने आदेशों को निष्पादित करने की इच्छा रखता है, और ग्राहक समय-समय पर सदस्य के माध्यम से आदेशों को निष्पादित करने से पहले उसकी क्षमता से स्वयं को संतुष्ट करता रहेगा।

4. सदस्य लगातार ग्राहक की वास्तविकता एवं वित्तीय मजबूती एवं दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार निवेश उद्देश्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।

5. सदस्य ग्राहक को सदस्य की कार्य सीमा, देयता या क्षमता सहित किए जाने वाले व्यवसाय के लिए सदस्य की देयता की निर्धारित प्रकृति के बारे में जानकारी देने के लिए कदम उठाएगा।

6. पेशेवर तत्परता की अपेक्षाएं
   a. सदस्य कोई वित्तीय अनुबंध करते समय या उसके तहत किन्हीं दायित्वों का पालन करते समय पेशेवर तत्परता से ही काम करेगा।
   b. "पेशेवर तत्परता" का अर्थ उस कुशलता व सावधानी के मानक से है जो सदस्य द्वारा किसी ग्राहक से व्यवहार करते समय तर्कसंगत ढंग से अपेक्षा की जाती है जो निम्न के अनुरूप हो-
      i. ईमानदारी भरा बाज़ार व्यवहार;
      ii. सद्भाव का सिद्धांत;
      iii. ग्राहक के ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता का स्तर;
      iv. ग्राहक द्वारा प्राप्त किए जा रहे वित्तीय उत्पाद* या वित्तीय सेवा में निहित जोखिम की प्रकृति और मात्रा; और
      सदस्य पर ग्राहक की निर्भरता की सीमा।

   * कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध

7. अधिकृत व्यक्ति, ग्राहक के साथ सभी सौदों में सदस्य को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा।

ग्राहक के बारे में जानकारी

8. ग्राहक वे सभी विवरण समय-समय पर कमोडिटी एक्सचेंजों/SEBI द्वारा अनिवार्य समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा जो सदस्य के लिए "खाता खोलने के फॉर्म" में दिया जाना आवश्यक है।

9. ग्राहक, खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में सभी अनिवार्य प्रावधानों के बारे में जानेगा। सदस्य द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त उपबंध या दस्तावेज गैर-जरूरी होगा, अतएव यह ग्राहक की स्वीकार्यता के अधीन होगा।

10. ग्राहक समाप्ति आवेदन/ऋणशोधन आवेदन या किसी भी अभियोग सहित - जिसका उसकी क्षमता पर कोई भी प्रभाव हो सकता है- खाता खोलने के समय या उसके बाद 'खाता खोलने के फॉर्म' में दी गई जानकारी में कोई भी परिवर्तन होने पर तुरंत ही सदस्य को लिखित में सूचित करेगा। ग्राहक आवधिक आधार पर सदस्य को वित्तीय जानकारी प्रदान करेगा/अद्यतित करेगा।

11. A. वित्तीय अनुबंधों में अनुचित शर्तों से बचाव**

   a. गैर बातचीत से तय किए गए अनुबंध की अनुचित शर्त अमान्य हो जाएगी।
   b. एक शर्त अनुचित है यदि यह-
      i. वित्तीय अनुबंध में शामिल पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों में महत्वपूर्ण असंतुलन, ग्राहक की हानि का कारण बनती है; और
      ii. सदस्य के वैध हितों की रक्षा करने के लिए यथोचित आवश्यक नहीं है।
   c. शर्त अनुचित है इसका निर्धारण करते समय विचार किए जाने वाले कारकों में शामिल हैं-
      i. वित्तीय अनुबंध के तहत पेश किए गए वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा की प्रकृति;
      ii. शर्त की पारदर्शिता की सीमा;

**कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा प्रस्तुत अनुबंध

      iii. सीमा जहां तक शर्त एक ग्राहक को समान वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं के लिए अन्य वित्तीय अनुबंधों; तथा
      iv. पूरे वित्तीय अनुबंध एवं किसी अन्य अनुबंध की शर्तों जिस पर यह निर्भर है, के साथ इसकी तुलना करने की अनुमति देती है।
   d. शर्त पारदर्शी है यदि यह –
      i. उस यथोचित सरल भाषा में व्यक्त की गयी है जो ग्राहक द्वारा समझी जा सकती है;
      ii. सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गयी है; तथा
      iii. शर्त से प्रभावित ग्राहक के लिए आसानी से उपलब्ध है।
   e. यदि वित्तीय अनुबंध की शर्त बिन्दु 11.A.c के तहत अनुचित निर्धारित की जाती है तो पक्ष वित्तीय अनुबंध की शेष शर्तों से उस सीमा तक बाध्य रहेंगे जहां तक वित्तीय अनुबंध अनुचित शर्त के बिना लागू किया जा सकता है।

11.B.

a. "गैर बातचीत से तय किया गया अनुबंध" का अर्थ है कि वह अनुबंध जिसकी बिन्दु 11.C. (नीचे दिए गए) में निहित शर्तों को छोड़कर अन्य शर्तें वित्तीय अनुबंध के लिए पक्षों के बीच तय नहीं की गयी हैं और इसमें शामिल हैं –

   i. वित्तीय अनुबंध जिसमें, वित्तीय अनुबंध की शर्तें निर्धारित करने में ग्राहक की तुलना में सदस्य के पास वस्तुतः अधिक सौदा शक्ति होती; और

   ii. एक मानक फार्म अनुबंध।

b. "मानक फार्म अनुबंध" का अर्थ है कि वह वित्तीय अनुबंध जिसकी बिन्दु 11.C. में निहित शर्तों को छोड़कर अन्य शर्तें ग्राहक के लिए काफी हद तक बातचीत करने योग्य नहीं हैं।

c. यद्यपि वित्तीय अनुबंध की कुछ शर्तें फार्म में तय की गयी हैं फिर भी वित्तीय अनुबंध गैर बातचीत से तय किए गए अनुबंध के रूप में माना जा सकता है यदि ऐसा निम्न द्वारा प्रकट किया जाता है –

   i. वित्तीय अनुबंध के समग्र एवं ठोस मूल्यांकन द्वारा; और

   ii. वित्तीय अनुबंध के आसपास पर्याप्त परिस्थितियों द्वारा

d. उस दावे में कि वित्तीय अनुबंध एक गैर बातचीत से तय किया गया अनुबंध है, प्रदर्शन का दायित्व भिन्न प्रकार से सदस्य पर होगा।

11. C.

a. उपरोक्त वित्तीय अनुबंध की एक शर्त के लिए लागू नहीं होता है यदि यह –

   i. वित्तीय अनुबंध की विषय-वस्तु को परिभाषित करती है;

   ii. कीमत तय करती है जो वित्तीय अनुबंध में शामिल वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के प्रावधान के लिए प्रदत्त या देय है और ग्राहक को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है; या

   iii. किसी कानून या विनियम के तहत आवश्यक है या इसकी स्पष्ट रूप से अनुमति दी गयी है।

b. बिन्दु 11.C के तहत छूट उस शर्त पर लागू नहीं होती है जो उस राशि के भुगतान की चर्चा करती है जो किसी विशिष्ट घटना की उपस्थिति या गैर उपस्थिति पर निर्भर है।

12. सदस्य एवं अधिकृत व्यक्ति खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए सभी विवरणों या ग्राहक से संबंधित अन्य सभी जानकारी को गुप्त रखेंगे और वे किसी विशेष कानूनी/विनियामक आवश्यकताओं के अंतर्गत आवश्यक होने के अलावा किसी व्यक्तिध्प्राधिकारी के समक्ष इसका खुलासा नहीं करेंगे। बशर्ते हालांकि सदस्य ग्राहक की सहमति से उसकी जानकारी को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

13.A. व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता की सुरक्षा

a. "व्यक्तिगत जानकारी" का अर्थ है कि कोई भी जानकारी जो ग्राहक से संबंधित है या ग्राहक की पहचान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगाने की अनुमति देती है, और इसमें शामिल है –

   i. नाम और संपर्क जानकारी;

   ii. बायोमीट्रिक जानकारी, व्यक्तियों के मामले में

   iii. लेनदेन, या जमा पूंजी, वित्तीय उत्पादों से संबंधित जानकारी

iv. वित्तीय सेवाओं के उपयोग से संबंधित जानकारी; या

v. इस तरह की अन्य जानकारी जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

13.B.

a. सदस्य -

i. को वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के प्रावधान के लिए आवश्यक जानकारी के अतिरिक्त ग्राहक से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एकत्र नहीं करनी चाहिए;

ii. को ग्राहकों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और बिन्दु 13.B.b. के तहत स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गए तरीके के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से तीसरे पक्ष को इसका खुलासा (प्रकटीकरण) नहीं करना चाहिए;

iii. को यह सुनिश्चित करने कि ग्राहक से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जो उनके पास है सही, अद्यतन और पूर्ण है, के लिए बेहतर प्रयास करना चाहिए;

iv. को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक किसी भी अपवाद जो नियामक निर्दिष्ट कर सकता है, की दशा में अपनी व्यक्तिगत जानकारी तक उचित पहुंच प्राप्त कर सकें; और

v. को ग्राहकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन करने के प्रयास के लिए प्रभावी अवसर देना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सदस्य के पास मौजूद व्यक्तिगत जानकारी सही, अद्यतन और पूर्ण है।

b. सदस्य ग्राहक से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी का तीसरे पक्ष को तभी खुलासा कर सकता है यदि –

i. सहमति से इनकार करने के लिए ग्राहक को एक प्रभावी अवसर प्रदान करने के बाद इसने खुलासे के लिए ग्राहक की पूर्व लिखित सूचित सहमति प्राप्त कर ली है;

ii. ग्राहक को खुलासा करने के लिए निर्देशित किया गया है;

iii. नियामक ने खुलासा करने का अनुमोदन किया या आदेश दिया है, और जब तक प्रासंगिक कानून या विनियमों द्वारा निषिद्ध है तब तक ग्राहक को इस खुलासे के विरूद्ध ऐसे कानून या विनियमों के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है;

iv. खुलासा करना किसी भी कानून या विनियम के तहत आवश्यक है और जब तक ऐसे कानून या विनियमों द्वारा निषिद्ध है तब तक ग्राहक को इस खुलासे के विरूद्ध ऐसे कानून या विनियमों के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है;

v. खुलासा ग्राहक के वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के प्रावधान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यदि सदस्य –

1. ग्राहक को पहले से सूचित करता है कि व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा की जा सकती है; और

2. यह सुनिश्चित करने कि तीसरा पक्ष व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता उसी तरह से बनाए रखेगा जिस तरह से इस भाग के तहत अपेक्षित है, की व्यवस्था करता है; या

vi. खुलासा वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी, अनधिकृत लेनदेन या दावों से बचने या इसे रोकने के लिए किया जाता है, यदि सदस्य व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष के साथ इस भाग के तहत अपेक्षित तरीके से व्यवस्था करता है।

c. "तीसरे पक्ष" का अर्थ है कि सदस्य के रूप में समान समूह से संबद्ध व्यक्ति सहित संबंधित सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति।

14.A. प्रारंभिक और सतत दोनों आधार पर निष्पक्ष खुलासे की आवश्यकता

a. सदस्य को जानकारी जो संभवतः एक सूचित संव्यवहार निर्णय लेने हेतु ग्राहक के लिए आवश्यक है, का निष्पक्ष खुलासा सुनिश्चित करना चाहिए।

b. निष्पक्ष खुलासा करने के क्रम में, जानकारी –

   i. वित्तीय अनुबंध में ग्राहक के दाखिल होने से पहले पर्याप्त रूप से प्रदान की जानी चाहिए ताकि जानकारी समझने के लिए ग्राहक को उचित समय मिल सके;

   ii. लिखित में और इस तरह से प्रदान की जानी चाहिए कि एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित ग्राहक की समझ में आ सके; और

   iii. इस तरह से प्रदान की जानी चाहिए कि ग्राहक वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा की अन्य समान वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं के साथ उचित तुलना करने में सक्षम हो।

c. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के संबंध में ग्राहक को जिस प्रकार की जानकारी बतायी जानी चाहिए उसमें निम्न से संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है –

   i. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के अभिलक्षणों, ग्राहक के लिए लाभों और जोखिम सहित इसकी मुख्य विशेषताएं;

   ii. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल या तरीका जिससे प्रतिफल की गणना की जाती है;

   iii. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय अनुबंध की किसी भी शर्त की मौजूदगी, बहिष्कार या प्रभाव;

   iv. सदस्य की पहचान, नियामक स्थिति और संबंधन सहित इसका स्वभाव, गुण और अधिकार;

   v. सदस्य का संपर्क विवरण और सदस्य एवं ग्राहक के बीच उपयोग की जाने वाली संचार की विधियां;

   vi. निर्धारित अवधि के भीतर वित्तीय अनुबंध रद्द करने के ग्राहक के अधिकार;

   vii. किसी भी कानून या विनियम के तहत ग्राहक के अधिकार।

14.B.

a. सदस्य को उस ग्राहक को निम्न सतत खुलासों के बारे में बताना चाहिए जो इसके द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा का लाभ उठा रहा है –

   i. उस जानकारी की किसी भी सामग्री में परिवर्तन जिसका उस समय पर जब ग्राहक ने वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा का शुरू में लाभ उठाया, बिन्दु 14.A के तहत खुलासा करना आवश्यक था;

   ii. ग्राहक द्वारा ग्रहण किए गए वित्तीय उत्पाद की स्थिति या प्रदर्शन से संबंधित जानकारी जो वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा में अधिकारों या हितों का आकलन करने के लिए आवश्यक हो सकती है; और

   iii. कोई अन्य जानकारी जो निर्दिष्ट की जा सकती है।

b. सतत खुलासा किया जाना चाहिए –

i. किसी सामग्री परिवर्तन की घटना से उचित समय अवधि के भीतर या उचित आवधिक अंतराल पर, जैसा लागू हो; और

ii. लिखित में और इस तरीके कि उस श्रेणी से संबंद्ध ग्राहक द्वारा समझा जा सके।

मार्जिन

15. ग्राहक लागू प्रारंभिक मार्जिन, काटी हुई मार्जिन, विशेष मार्जिन या ऐसे अन्य सभी मार्जिनों का भुगतान करेगा जिन्हें सदस्य या एक्सचेंज द्वारा आवश्यक माना जाता है या जैसा समय समय पर ग्राहक द्वारा ट्रेड किए जाने वाले सेगमेंटों पर लागू SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक माना जाता है। सदस्य को अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक में अतिरिक्त मार्जिन एकत्र करने की अनुमति है (भले ही एक्सचेंज, समाशोधन गृह या SEBI द्वारा आवश्यक न हो) और ग्राहक निर्धारित समय के भीतर ऐसे मार्जिनों का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

16. ग्राहक समझता है कि ग्राहक द्वारा मार्जिन का भुगतान आवश्यक रूप से सभी बकायों की पूर्ति नहीं करता है। लगातार मार्जिनों का भुगतान करने के बावजूद भी ग्राहक, अपने ट्रेड के निपटान पर, अनुबंध के अनुसार निर्दिष्ट आवश्यक उन सभी राशियों का भुगतान करने के लिए बाध्य (या प्राप्त करने का हकदार) है।

लेनदेन एवं निपटान

17. ग्राहक कमोडिटीज/डेरिवेटिव कंट्रैक्ट की खरीद या बिक्री के लिए कोई भी आदेश लिखित में या उस अन्य रूप या तरीके से देगा जिस पर ग्राहक एवं सदस्य परस्पर सहमत हों, हालांकि सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में नियामकीय अपेक्षाओं का पालन किया जाए। सदस्य केवल उस ग्राहक को आवंटित अद्वितीय ग्राहक कोड में आदेश देना और ट्रेडों को निष्पादित करना सुनिश्चित करेगा।

18. सदस्य ग्राहक को ट्रेडिंगध्निपटान चक्र, डिलीवरीध्भुगतान अनुसूची, उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगा और उसे इसके बारे में अवगत कराता रहेगा, और उस प्रासंगिक कमोडिटी एक्सचेंज की ऐसी अनुसूचियों/प्रक्रियाओं का पालना करना ग्राहक की जिम्मेदारी होगी जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है।

19. सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक द्वारा जमा किए गए धनध्प्रतिभूतियों को अलग खाते में रखा जाएगा जो उसके अपने खाते या किसी अन्य ग्राहक के खाते से अलग हो और इसे सदस्य द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य ग्राहक के लिए या SEBI के नियमों, परिपत्रों, नोटिसों, दिशानिर्देशों और/या एक्सचेंज के कारोबारी नियमों, उप-नियमों, परिपत्रों एवं नोटिसों में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

20. जहां एक्सचेंज अपनी ओर से ट्रेड (ट्रेडों) को रद्द करता है तो ग्राहक की ओर से किए गए ट्रेड/ट्रेडों सहित ऐसे सभी ट्रेड स्वतः ही रद्द को जाएंगे, सदस्य ग्राहक(कों) के साथ संबंधित कांट्रैक्ट (कांट्रैक्ट्स) को रद्द करने का हकदार होगा।

21. एक्सचेंज पर निष्पादित किए गए लेनदेन नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों तथा उन एक्सचेंजों द्वारा जारी परिपत्रों/नोटिसों के विषयाधीन हैं जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है और ऐसे ट्रेड के सभी पक्षों को उन

एक्सचेंजों के उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों द्वारा निर्दिष्ट ऐसे न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में प्रस्तुत करना होगा जहां ट्रेड को एक्सचेंजों के नियमों, उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निष्पादित किया जाता है।

ब्रोकरेज (दलाली)

22. ग्राहक को सदस्य के लिए ब्रोकरेज एवं सांविधिक लेवी का भुगतान करना होगा जो समय समय पर प्रचलित होते हैं और जो ग्राहक के खाते, लेनदेनों एवं उन सेवाओं के लिए लागू होते हैं जिन्हें सदस्य ग्राहक को प्रदान करता है। सदस्य संबंधित कमोडिटी एक्सचेंजों के नियमों, कारोबारी नियमों एवं उप-नियमों और/या SEBI के नियमों के अनुसार मान्य अधिकतम ब्रोकरेज से अधिक ब्रोकरेज प्रभारित नहीं करेगा।

स्थिति का परिसमापन एवं बंद करना (पॉजिशन का लिक्विडेशन और क्लोज-आउट)

23. सदस्य के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (किसी भी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के अधिकार सहित), ग्राहक समझता है कि सदस्य मार्जिन या अन्य राशियों, बकाया ऋण आदि का भुगतान न करने पर ग्राहक की स्थितियों में से एक या सभी का परिसमापनध्बंद करने के लिए हकदार होगा और ग्राहक की देनदारियोंध्बाध्यताओं के एवज में, ऐसे परिसमापन/समाप्ति से प्राप्त आय को समायोजित करने का हकदार होगा। इस तरह के परिसमापनध्समाप्ति के कारण होने वाली कोई एक और सभी हानियां एवं वित्तीय प्रभार ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे।

24. ग्राहक की मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में या ग्राहक द्वारा उन कमोडिटीज को प्राप्त करने या उनके लिए भुगतान करने या उन्हें सुपुर्द करने या स्थानांतरित करने में असमर्थ होने की घटना में जिसे उसने खरीदने या बेचने के लिए आदेश दिया है, सदस्य ग्राहक की संपत्ति के खिलाफ ग्राहक के लेनदेनों को बंद कर सकता है और हानियों का दावा कर सकता है, यदि कोई हो। ग्राहक या उसके नामिती, वारिस, उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती (असाइनी) उसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अधिशेष (लाभ) को प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। ग्राहक को ध्यान देना चाहिए कि एक नामिती के पक्ष में निधियों/कमोडिटीज का अंतरण कानूनी वारिस के खिलाफ सदस्य द्वारा मान्य तरीके से चुकाया जाएगा।

विवाद निपटान

25. सदस्य अपने माध्यम से किए जाने वाले सभी लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने में सहयोग करेगा।

26. ग्राहक एवं सदस्य जमा, मार्जिन धनराशि आदि के संदर्भ में किसी भी दावे और या विवादों को उन एक्सचेंजों के समय-समय पर प्रभावी हो सकने वाले नियमों, उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करेंगे जहां ट्रेड को निष्पादित किया गया है।

27. ग्राहक/सदस्य समझता है कि विवाद समाधान के लिए ग्राहक/स्टॉक-ब्रोकर के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी निर्देश, यदि कोई हो, कथित प्रतिनिधि को कथित ग्राहक/सदस्य की ओर से सौदा करने के लिए अधिकृत करते हुए पत्र के अनुसार ग्राहक/सदस्य पर लागू होंगे।

28. प्रत्येक सदस्य के पास एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र जो इसके सभी ग्राहकों के लिए सुलभ हो, होने की आवश्यकता।

a. सदस्य के पास स्वयं द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं के संबंध में अपने ग्राहकों से या अपनी ओर से, त्वरित एवं निष्पक्ष तरीके से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए।

b. सदस्य को ग्राहक के साथ संबंध की शुरुआत में और इसी तरह अन्य समय पर जब ग्राहक के लिए संभवतः जानकारी आवश्यक है, ग्राहक को यह सूचित करना चाहिए –

   i. कि किसी भी शिकायत का निवारण करने का प्रयास करना ग्राहक का अधिकार है; और

   ii. अपने ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए सदस्य द्वारा प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

29.A. ग्राहक के लिए सलाह की उपयुक्तता

ऐसी सलाह प्राप्त करने का अधिकार जो ग्राहक की प्रासंगिक व्यक्तिगत परिस्थितियों जैसे कि ग्राहकों की वित्तीय परिस्थितियों और जरूरतों पर विचार करने के लिए उपयुक्त हो। यह दायित्व उस व्यक्ति पर लागू होगा जो ग्राहकों को सलाह देता है और नियामक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकता है जो इस तरह की सलाह दिए जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

a. सदस्य -

   i. को ग्राहक की प्रासंगिक व्यक्तिगत परिस्थितियों के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए समस्त प्रयास करने चाहिए; और

   ii. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक की प्रासंगिक व्यक्तिगत परिस्थितियों पर यथोचित विचार करने के बाद दी गयी सलाह ग्राहक के लिए उपयुक्त हो।

b. यदि सदस्य को यह यथोचित स्पष्ट है कि ग्राहक की प्रासंगिक व्यक्तिगत परिस्थितियों से संबंधित उपलब्ध जानकारी अधूरी या गलत है तो सदस्य को अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर कार्यवाही के परिणामों से ग्राहक को सचेत कर देना चाहिए।

c. यदि एक ग्राहक उस वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा जिसे सदस्य ग्राहक के लिए अनुपयुक्त निर्धारित करता है, का लाभ उठाना चाहता है तो सदस्य –

   i. को अपनी सलाह ग्राहक को स्पष्ट रूप से लिखित में और इस तरीके से बता देनी चाहिए जिसे ग्राहक द्वारा समझे जाने की संभावना है; और

   ii. केवल बिन्दु 29.A.a के साथ अनुपालन और ग्राहक से लिखित पावती प्राप्त करने के बाद ग्राहक द्वारा अनुरोध किए गए वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा प्रदान कर सकता है।

30. हित संघर्ष से निपटना

ग्राहक और सदस्य के हितों के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में, ग्राहक हितों को वरीयता दी जानी चाहिए।

a. सदस्य –

   i. को किसी प्रकार के विरोध किए गए पारिश्रमिक जिसे सदस्य ने ग्राहक को सलाह देने के लिए प्राप्त किया है या प्राप्त करने की उम्मीद करता है, सहित किसी भी हित संघर्ष से संबंधित जानकारी ग्राहक को प्रदान करनी चाहिए; और

   ii. ग्राहक के हितों को वरीयता देनी चाहिए यदि सदस्य –

      1. अपने स्वयं के हितों और ग्राहक के हितों के बीच संघर्ष को जानता है या यथोचित रूप में जानना चाहता है; या

2. संबंधित सदस्य के हितों और ग्राहक के हितों के बीच संघर्ष को जानता है या यथोचित रूप में जानना चाहता है, ऐसे मामलों में जहां सदस्य एक वित्तीय प्रतिनिधि है।

b. बिन्दु 16a.i. में शामिल जानकारी ग्राहक को लिखित में और इस तरीके से दी जानी चाहिए जिसे ग्राहक द्वारा समझे जाने की संभावना है और जानकारी प्राप्त होने की लिखित पावती ग्राहक से प्राप्त की जानी चाहिए।

c. इस खंड में, "विरोध किया गया पारिश्रमिक" का अर्थ है कि सदस्यों द्वारा ग्राहकों जो परिस्थितियों के तहत सदस्य द्वारा ग्राहक को दी गयी सलाह के प्रभावित होने की यथोचित रूप से उम्मीद कर सकते हैं, के अलावा अन्य व्यक्तियों से व्युत्पन्न कोई भी लाभ चाहे मौद्रिक या गैर-मौद्रिक हो।

संबंध की समाप्ति

31. सदस्य और ग्राहक के बीच यह संबंध समाप्त हो जाएगाय यदि सदस्य के डिफॉल्ट, मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन के कारण सदस्यता की समाप्ति सहित किसी भी कारण से सदस्य कमोडिटी बाजार का सदस्य नहीं रहता है या प्रमाण पत्र एक्सचेंज द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

32. सदस्य, अधिकृत व्यक्ति एवं ग्राहक अन्य पक्षों को कम से कम एक महीने पूर्व लिखित सूचना देने के बाद, दूसरे पक्ष को कोई कारण बताए बिना उन दोनों के बीच संबंध समाप्त करने के हकदार होंगे। किसी भी तरह की समाप्ति के बावजूद, इस संबंध की समाप्ति से पूर्व किए गए लेनदेनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित सभी अधिकारों, देयताओं और दायित्वोंध्बाध्यताओं का निर्वाह किया जाना जारी रहेगा, जो मामले के अनुसार, संबंधित पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, वारिसों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों पर लागू होगा।

33. अधिकृत व्यक्ति के निधन/दिवालिया होने, या बोर्ड के साथ उसका पंजीकरण रद्द होने या/कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा अधिकृत व्यक्ति की मान्यता छिनने और/या सदस्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ अनुबंध की समाप्ति की घटना में, किसी भी कारण के लिए ग्राहक को ऐसी समाप्ति के बारे में सूचित करना होगा और ग्राहक को सदस्य का प्रत्यक्ष ग्राहक होना चाहिए और सदस्य, अधिकृत व्यक्ति एवं ग्राहक को शासित करने वाले 'अधिकार एवं दायित्व' दस्तावेज(जों) में सभी उपबंध समान रूप से लागू होंगे, जब तक ग्राहक एक महीने से अधिक के लिए लिखित में एक नोटिस देकर उनके संबंध को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में सदस्य को सूचित नहीं करता है।

अतिरिक्त अधिकार एवं दायित्व

34. सदस्य और ग्राहक समय समय पर SEBI एवं उन प्रासंगिक एक्सचेंजों द्वारा जारी नियमों, कारोबारी नियमों, उप-नियमों, परिपत्रों, नोटिसों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार अपने खातों का मिलान करेंगे और निपटान करेंगे जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है।

35. सदस्य अपने ग्राहकों के लिए आदेश संख्या, ट्रेड संख्या, ट्रेड समय, ट्रेड मूल्य, ट्रेड मात्रा, डेरिवेटिव कंट्रैक्ट के विवरण, ग्राहक कोड, ब्रोकरेज, सभी लागू प्रभार आदि एवं इस तरह से तथा एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ऐसे समय पर एवं उसमें भरने के लिए आवश्यक अन्य सभी आवश्यक विवरणों के साथ सभी लेनेदेनों के रिकार्डों सहित समय समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ऐसे प्रारूप में निष्पादित ट्रेडों के लिए कंट्रैक्ट नोट जारी

करेगा। सदस्य मुद्रित प्रति में और/या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ट्रेडों के निष्पादन से 24 घंटे के भीतर निवेशकों को कंट्रैक्ट नोट भेजेगा।

36. सदस्य को मामले के अनुसार, उस प्रासंगिक एक्सचेंज से प्राप्त भुगतान की प्राप्ति से एक कार्य दिवस के भीतर ग्राहक को निधियों या प्रतिभूतियों की डिलीवरी के लिए भुगतान करना होगा जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है जब तक कि या तो ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो और उस एक्सचेंज द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषयाधीन न हो।

37. सदस्य समय-समय पर उस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसी अवधि और प्रारूप में अपने ग्राहकों में से प्रत्येक के संबंध में निधियों और कमोडिटीज दोनों के लिए 'खाता विवरण' भेजेगा जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है। विवरण यह भी बताएगा कि ग्राहक विवरण में, तत्काल गलतियों, यदि कोई हो, की सूचना, सदस्य (स्टॉक ब्रोकर) को प्राप्ति के बाद उस समय के भीतर देगा जो एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

38. सदस्य ग्राहकों के लिए दैनिक आधार पर मार्जिन विवरण भेजेगा। मार्जिन विवरण में नकदी, सावधि जमा रसीद (FDR), बैंक गारंटी, गोदाम रसीदें, प्रतिभूतियों आदि के संबंध में ब्रेक-अप के साथ अन्य बातों के साथ संपार्श्विक (कोलेटरल) जमा, प्रयुक्त संपार्श्विक एवं संपार्श्विक स्थिति (ग्राहक से प्राप्त बैलेंस/बकाया) का विवरण शामिल होना चाहिए।

39. ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास सदस्य के साथ संबंध में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित कानूनी क्षमता है और वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है, और वह इसके अंतर्गत अपने दायित्वों और कार्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम है। सभी लेनदेनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्य जिनमें ग्राहक प्रवेश कर सकते हैं, इस तरह के लेनदेन में प्रवेश करने से पहले ग्राहक द्वारा पूर्ण किए जाएंगे।

40. उस स्थिति में, जहां एक सदस्य अपनी सदस्यता त्याग देता/देती है, सदस्य निवेशकों के दावों यदि कोई हैं, को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक नोटिस देता है। एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर संचालित लेन-देन से संबंधित दावे की स्थिति में, सुनिश्चित करें कि ग्राहक निर्धारित अवधि के भीतर और सहायक दस्तावेजों के साथ एक्सचेंज में दावा दायर करे।

41.A. अनुचित आचरण से संरक्षण जिसमें भ्रामक आचरण एवं अपमानजनक आचरण शामिल हैं

a. वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं के संबंध में अनुचित आचरण निषिद्ध है।

b. "अनुचित आचरण" का अर्थ है कि सदस्य या इसके वित्तीय प्रतिनिधि द्वारा कोई कृत्य या चूक जो सुविज्ञ संव्यवहार निर्णय लेने के लिए ग्राहक की क्षमता को काफी हानि पहुंचाती है, या जिससे काफी हानि होने की संभावना है और इसमें शामिल हैं –

i. बिन्दु 41.B के तहत भ्रामक आचरण

ii. बिन्दु 41.C के तहत अपमानजनक आचरण

iii. ऐसा ही अन्य आचरण जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

41.B.

a. निर्धारक कारक के संबंध में सदस्य या इसके वित्तीय प्रतिनिधि का आचरण भ्रामक होता है यदि इसके कारण ग्राहक के संव्यवहार निर्णय जिसे ग्राहक अन्यथा नहीं लेगा, लेने की संभावना है, और आचरण में शामिल है –

i. ग्राहक को गलत जानकारी देना या ऐसी जानकारी देना जिसके सत्य होने पर सदस्य या वित्तीय प्रतिनिधि को विश्वास नहीं है; या

ii. ग्राहक को कपटपूर्ण तरीके से सटीक जानकारी प्रदान करना।

b. यह निर्धारित करने में कि आचरण बिन्दु 41.B.a के तहत भ्रामक है या नहीं, निम्न कारक "निर्धारक कारक" समझे जाने चाहिए –

i. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के अभिलक्षणों, ग्राहक के लिए इसके लाभ और जोखिम सहित इनकी मुख्य विशेषताएं;

ii. किसी विशिष्ट वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के लिए ग्राहक की जरूरत या ग्राहक के लिए इसकी उपयुक्तता;

iii. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल या तरीका जिससे प्रतिफल की गणना की जाती है;

iv. वित्तीय अनुबंध की किसी भी शर्त की मौजूदगी, बहिष्कार या प्रभाव; जो उस वित्तीय अनुबंध के संदर्भ में भौतिक शर्त है;

v. सदस्य की पहचान, नियामक स्थिति और संबंधन सहित इसका स्वभाव, गुण एवं अधिकार; और

vi. किसी भी कानून या विनियम के तहत ग्राहक के अधिकार।

41.C.

a. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के संबंध में सदस्य या इसके वित्तीय प्रतिनिधि का आचरण अपमानजनक होता है यदि इसमें –

i. दबाव या अनुचित प्रभाव का उपयोग शामिल है; और

ii. इसके कारण ग्राहक संव्यवहार निर्णय जिसे ग्राहक अन्यथा नहीं लेगा, लेता है या लेने की संभावना है।

b. यह निर्धारित करने में कि आचरण दबाव या अनुचित प्रभाव का उपयोग करता है या नहीं, निम्न पर विचार किया जाना चाहिए –

i. आचरण का समय, स्थिति, प्रकृति या दृढ़ता;

ii. धमकी भरी या अपमानजनक भाषा या व्यवहार का उपयोग;

iii. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा से संबंधित ग्राहक के निर्णय को प्रभावित करने के लिए ग्राहक की किसी विशिष्ट विपत्ति या परिस्थिति का शोषण जिससे सदस्य अवगत है;

iv. सदस्य द्वारा लगाए गए गैर-अनुबंधीय अवरोध जहां ग्राहक वित्तीय अनुबंध के तहत अधिकारों का प्रयोग करना चाहता है, जिसमें शामिल है –

v. वित्तीय अनुबंध समाप्त करने का अधिकार;

vi. किसी अन्य वित्तीय उत्पाद या अन्य सदस्य की अदला-बदली का अधिकार और

vii. परिस्थितियों जिनसे खतरा है, के आधार पर कोई कार्यवाही करने का खतरा।

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैक्ट नोट (ECN)

42. यदि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कंट्रैक्ट नोट प्राप्त करना चयन करता है तो उसे सदस्य को एक उपयुक्त ईमेल आईडी (ग्राहक द्वारा बनाई गई) उपलब्ध करानी होगी (कृपया अनुलग्नक 3 का परिशिष्ट A देखें)। सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में समय-समय पर जारी समस्त नियमों/कारोबारी नियमों/उप-नियमों/परिपत्रों का अनुपालन किया जाए। ग्राहक को ईमेल आईडी में किसी भी परिवर्तन से एक भौतिक पत्र के माध्यम से सदस्य को सूचित करना होगा। यदि ग्राहक ने इंटरनेट ट्रेडिंग का चयन किया है तो ईमेल आईडी के परिवर्तन के लिए अनुरोध ग्राहक विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड के तरीके से सुरक्षित पहुंच के माध्यम से किया जा सकता है।

43. सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले सभी ECN डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, एन्क्रिप्टेड, छेड़छाड़ किए जाने से अक्षम एवं IT अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में होंगे। यदि ECN को एक अनुलग्नक के रूप में ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है तो संलग्न फाइल भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ एन्क्रिप्टेड एवं छेड़छाड़ किए जाने से अक्षम रूप में सुरक्षित की जाएगी।

44. ग्राहक को ध्यान देना चाहिए कि सदस्य द्वारा बाउंस मेल सूचना प्राप्त न होने पर ग्राहक की ईमेल आईडी पर कांट्रैक्ट नोट की सुपुर्दगी सुनिश्चित होगी।

45. सदस्य IT अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में एवं समय समय पर SEBI/कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों/विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके से सॉफ्ट एवं टेंपर किए जाने से अक्षम प्रारूप में ECN और ईमेल की पावती अपने पास रखेगा। सुपुर्दगी का साक्ष्य यानी कंट्रैक्ट नोट भेजने के समय सिस्टम द्वारा जनरेटेड लॉग रिपोर्ट, SEBI/कमोडिटी एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए सदस्य द्वारा रखी जाएगी। लॉग रिपोर्ट उन कंट्रैक्ट नोट्स के विवरण प्रदान करेगी जो ग्राहक को प्राप्त नहीं हुए हैं/ईमेल अस्वीकृत हुई है या वापस आ गई है। सदस्य हर बार SEBI/कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा जारी नियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर उसके द्वारा बाउंस होने वाली ईमेलों की सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा।

46. सदस्य ऐसे ग्राहकों के लिए भौतिक तरीके से कंट्रैक्ट नोट भेजना जारी रखेगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कंट्रैक्ट नोट प्राप्त करना नहीं चुना है। जहां ECN ग्राहक तक नहीं पहुंचता है या ग्राहक की ईमेल आईडी से (ईमेल बाउंस) अस्वीकृत हो जाता है वहां सदस्य SEBI/कमोडिटी एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों/नियमों/उप-नियमों, कारोबारी नियमों और परिपत्रों के तहत निर्धारित समय के भीतर ग्राहक को एक भौतिक कंट्रैक्ट नोट भेजेगा और इस तरह के भौतिक कंट्रैक्ट नोट्स के प्रेषण और सुपुर्दगी का साक्ष्य बनाए रखेगा।

47. ग्राहक को ECN के ईमेल संचार के अतिरिक्त, सदस्य सुरक्षित तरीके से अपनी निर्दिष्ट वेबसाइट पर, यदि कोई हो, समान समय में ECN प्रकाशित करेगा और ग्राहकों को उस पर उपयुक्त पहुंच के लिए सक्षम करेगा और इस उद्देश्य के लिए वह ग्राहक को अनुबंध नोट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजने और प्रिंट आउट लेने के विकल्प के साथ एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराएगा।

48. ग्राहक जो अनुबंध नोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने का फैसला करता है उससे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैक्ट नोट (ECN) घोषणा प्रपत्र प्राप्त करना। यह घोषणा तब तक मान्य रहेगी जब तक यह ग्राहक द्वारा निरस्त नहीं कर दी जाती।

कानून एवं न्यायिक क्षेत्र

49. इस दस्तावेज में वर्णित विशेषाधिकारों के अलावा, सदस्य, अधिकृत व्यक्ति एवं ग्राहक किसी भी अन्य अधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे जो सदस्य या ग्राहक को उन एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों जिसमें ग्राहक ट्रेड करने के लिए चयन करता है, तथा SEBI के नियमों के अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों/नोटिसों के तहत दिया गया हो सकता है।

50. इस दस्तावेज के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचनाओं, SEBI द्वारा जारी किन्हीं भी नियमों, दिशानिर्देशों तथा परिपत्र/नोटिसों, और उन संबंधित कमोडिटी एक्सचेंजों के परिपत्रों, नियमों, कारोबारी नियमों एवं उप-नियमों के विषयाधीन होंगे जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है, और जो समय समय पर प्रभावी हो सकते हैं।

51. सदस्य एवं ग्राहक, मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थ(थों) द्वारा पारित किसी भी अधिनिर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि यदि पार्टी मध्यस्थता अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील का प्रावधान भी है।

52. शब्द एवं तात्पर्यध्भाव जिनका इस दस्तावेज में उपयोग किया गया है किंतु यहां परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों/कारोबारी नियमों तथा एक्सचेंजों/ SEBI द्वारा उसके तहत जारी परिपत्रों/नोटिसों में दिए गए अर्थ के समान अर्थ वाला माना जाएगा।

53. सदस्य द्वारा जोड़े गए सभी अतिरिक्त स्वैच्छिक उपबंध/दस्तावेज, एक्सचेंजों/SEBI के नियमों/कारोबारी नियमों/नोटिसों/ परिपत्रों के उल्लंघन वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे स्वैच्छिक उपबंधों/दस्तावेज(जों) में किसी भी परिवर्तन के लिए 15 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। एक्सचेंजों/ SEBI द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों एवं दायित्वों में किसी भी परिवर्तन के बारे में ग्राहकों को भी अवगत कराया जाएगा।

54. यदि यहां पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों को SEBI के नियमों या उन कमोडिटी एक्सचेंजों के उप-नियमों, नियमों एवं कारोबारी नियमों में बदलाव के आधार पर बदला जाता है जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तनों को इस दस्तावेज में उल्लिखित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के संशोधन में शामिल किया हुआ माना जाएगा।

55. सदस्यों से उनके ग्राहकों को प्रत्येक महीने खाता विवरण भेजने की अपेक्षा की जाती है।

सदस्यों द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई इंटरनेट एवं वायरलेस तकनीक आधारित ट्रेडिंग सुविधा
(*'अधिकार एवं दायित्व'* दस्तावेज(जों) में वर्णित सभी खंड/उपबंध लागू होंगे। इसके अलावा, इसके अंतर्गत उल्लिखित खंड/उपबंध भी लागू होंगे।)

1. सदस्य वायरलेस तकनीक के उपयोग के माध्यम से इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (IBT) एवं प्रतिभूति ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्रात्र है जिनमें मोबाइल फोन, डेटा कार्ड के साथ लैपटॉप, आदि उपकरणों का उपयोग शामिल होगा जिनमें इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) का उपयोग होता है। सदस्य SEBI और एक्सचेंजों द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार वायरलेस तकनीक का उपयोग करके इंटरनेट आधारित ट्रेडिंगध्प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए लागू सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

2. ग्राहक प्रतिभूतियों में निवेशध्ट्रेडिंग करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य के लिए ग्राहक या तो इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग सुविधा या वायरलेस तकनीक के उपयोग के माध्यम से प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए इच्छुक है। सदस्य ग्राहक को सदस्य की IBT सेवा प्रदान करेगा और ग्राहक सदस्य की IBT सेवा का लाभ उठाएगा जो SEBI/एक्सचेंजों के प्रावधानों और नियमों तथा सदस्य की IBT वेबसाइट पर निर्दिष्ट शर्तों के विषयाधीन है बशर्ते कि वे एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हों।

3. सदस्य वायरलेस तकनीकध्इंटरनेटध्स्मार्ट आर्डर रूटिंग या किसी भी अन्य तकनीक के माध्यम से प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग से जुड़ी सुविधाओं, जोखिमों, जिम्मेदारियों, दायित्वों एवं देनदारियों के बारे में ग्राहक को अवगत कराएगा।

4. सदस्य ग्राहक को इसके बारे में अवगत कराएगा कि सदस्य का IBT सिस्टम प्रारंभिक पासवर्ड जनरेट करता है और इसकी पासवर्ड नीति एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार है।

5. ग्राहक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को गोपनीय एवं सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित किए गए सभी आदेशों एवं लेनदेन के प्रति पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा जिसने ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम और/या पासवर्ड का उपयोग करते हुए सदस्य के IBT सिस्टम के माध्यम से इन्हें संपन्न किया हो, चाहे वह व्यक्ति ऐसा करने के लिए अधिकृत हो या न हो। इसके अलावा ग्राहक यह भी जानता है कि आदेश रूटेड (अनुमार्गण) सिस्टम के माध्यम से वायरलेस तकनीक द्वारा इंटरनेट ट्रेडिंग/प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए प्रमाणीकरण तकनीकों एवं सखत सुरक्षा मानदंडों की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है कि ग्राहक और या उसके अधिकृत प्रतिनिधि का पासवर्ड सदस्य के कर्मचारियों एवं डीलरों सहित किसी भी तृतीय पक्ष को पता नहीं चलता है।

6. ग्राहक इस बारे में तत्काल सदस्य को लिखित में सूचित करेगा यदि वह अपना पासवर्ड भूल जाता है, उसे सदस्य के IBT सिस्टम में सुरक्षा खामी का पता चलता है, ऐसे अनधिकृत उपयोग, तिथि, तरीके और ऐसे अनधिकृत उपयोग से प्रभावित लेनेदेनों आदि की पूरी जानकारी के साथ अपने उपयोगकर्ता नामध्पावर्डध्खाते के माध्यम से विसंगतियों/अनधिकृत उपयोग का संदेह होता हैध्पता चलता है।

7. ग्राहक वायरलेस तकनीक के माध्यम से इंटरनेटध्प्रतिभूति ट्रेडिंग से आर्डर रूट करने के लिए सेवा का लाभ उठाने के साथ जुड़े जोखिमों के बारे में पूर्णतया अवगत है और समझता है तथा ग्राहक किसी भी प्रकार से ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड में किए गए सभी कृत्यों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होगा।

8. सदस्य ग्राहक को उसके अनुरोध पर ईमेल के माध्यम से ऑर्डरध्ट्रेड पुष्टिकरण भेजेगा। ग्राहक जानता है कि ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाता है। यदि ग्राहक वायरलेस तकनीक का उपयोग करके ट्रेड कर रहा है तो सदस्य ग्राहक के उपकरण पर ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण भेजेगा।

9. ग्राहक जानता है कि इंटरनेट पर ट्रेडिंग में कई अनिश्चित कारक शामिल होते हैं तथा जटिल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणालियां, संचार लाइनें, बाह्य उपकरण आदि रुकावटों एवं अव्यवस्थाओं के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। सदस्य एवं एक्सचेंज इस बात का कोई निरूपण नहीं करते या गारंटी नहीं देते कि IBT सेवा बिना किसी रुकावट के हर समय ग्राहक के लिए उपलब्ध होगी।

10. ग्राहक, सदस्य के IBT सिस्टम या सेवा या एक्सचेंज की सेवा या प्रणालियों के किसी भी निलंबन, रुकावट, अनुपलब्धता या सदस्य/एक्सचेंजों के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से ग्राहक/सदस्य/एक्सचेंज पर किसी भी लिंक/प्रणाली की विफलता के कारण अपने आदेशों के निष्पादन न होने पर, एक्सचेंज या सदस्य के खिलाफ काई दावा नहीं करेगा।